Hkkjr ljdkj }kjk lgk;frr **df"k foLrkj l/kkj dk;Øe**
¼vkRek½
&%% lf{kIr Vhi %%&

1- 1- ifjp;%&

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 से प्रदेश के 15 जिलों क्रमशः बैतूल, होशंगाबाद, खरगौन, झाबुआ रतलाम, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, सागर, टीकमगढ़, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, रीवा एवं शहडोल में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (Support to State Extention Programme for Extention Refome- ATMA) प्रारम्भ किया गया है योजना अन्तर्गत राज्यांश 10 प्रतिशत है जबकि 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त होना है। यह राशि विभाग के राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल के नाम से बैंक डाफ्ट के माध्यम से प्राप्त होगी तथा 10 प्रतिशत राज्यांश की राशि भी संस्थान के बजट हैड में प्रावधानित कराई जाकर अनुमोदित कार्यक्रम अनुसार चयनित जिलों की **vkRek^^ (ATMA-Agriculture Technology Management Agency) को योजना क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी ।

2 dk;Øe d ie[k mnn' ; %&

(1) कृषि विस्तार सेवाओं में आमूल सुधार ।

(2) कृषि तकनीकि प्रसार पद्धतियों में सुधार ।

(3) नवीन कृषि तकनीकि का विकास ।

(4) कृषकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि विस्तार अमले को सक्षम बनाना ।

3 dk;Øe dk fØ;kUo;u %&

कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) के क्रियान्वयन में केन्द्रीय भूमिका निभाने हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है ।

(A) jkT; Lrjh; vUrjfoHkkxh; dk; lfefr (IDWG - Inter Departmental Working Group)

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–19/99/2005/1/4, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 2005 से भारत सरकार द्वारा प्रदेश में प्रारंभ किये गये कृषि विस्तार कार्यक्रम की राज्य स्तर से मानिटरिंग करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार अर्न्तविभागीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है ।

1	कृषि उत्पादन आयुक्त. मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2	सचिव कृषि	सदस्य

3	सचिव वित्त	सदस्य
4	सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
5	सचिव, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन	सदस्य
6	सचिव, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
7	आयुक्त, रेशम	सदस्य
8	संचालक/आयुक्त , हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, भोपाल	सदस्य
9	कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर	सदस्य
10	संचालक, मत्स्य पालन	सदस्य
11	संचालक, कृषि	सदस्य
12	संचालक, उद्यानिकी	सदस्य
13	संचालक, कृषि अभियांत्रिकी	सदस्य
14	उप सचिव, कृषि	सदस्य सचिव

bl lfefr ds izeq[k dk;Z fuEukuqlkj jgsxs %&

(i) (i) तकनीकी हस्तांतरण हेतु भारत सरकार, कृषि मंत्रालय स्तर पर गठित तकनीकी हस्तांतरण प्रबंधन समिति से सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करना ।

(ii) (ii) जिला स्तर पर गठित आत्मा (ATMA Agriculture Technology Managment Agency) के द्वारा संपादित कृषि–विस्तार–अनुसंधान कार्यक्रमों की समीक्षा करना एवं आवश्यक अर्न्तविभागीय सहयोग प्रदान करना।

(iii) (iii) तकनीकी हस्तांतरण हेतु विभिन्न विभागों के दिशा निर्देश तैयार करना ।

(iv) (iv) विभिन्न सहयोगी विभागों के मध्य आदान व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, विपणन व्यवस्था के लिये सशक्त माध्यम का कार्य करना जिससे कि अद्धशासकीय संस्थाओं, निजी संस्थाओं आदि का भरपूर सहयोग लिया जाकर कृषि विस्तार सुधार में आपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सकें ।

(v) (v) (ATMA Agriculture Technology Managment Agency) के द्वारा प्राप्त की गई नवीन उपलब्धियों को विभाग में आत्मसात करना ।

(vi) (vi) परियोजना से संबंधित समय–समय पर आवश्यक नीति निर्धारण ।

lfefr dh cSBd ¼&सामान्यतः समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में आयोजित की जावेगी जिसके लिये आवश्यक एजेण्डा सदस्य सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से निर्धारित कर सभी सदस्यों को सूचित करेंगे ।

(B) आत्मा गवर्निंग बोर्ड (ATMA-Governing Bord) :–मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय द्वारा आदेश क्रमांक 1587/1688/2005/14–2 दिनांक 17 जून 2005, भारत सरकार कृषि मंत्रालय की सहायता से म.प्र. के पन्द्रह जिले– बैतूल, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगौन, सागर, टीकमगढ़, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, रीवा, ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन, रतलाम एवं शहडोल में वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ किया जा रहे ''कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम'' का क्रियान्वयन जिला स्तर पर सुचारू रूप से सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक चयनित जिले के लिये जिला स्तर पर ''आत्मा गवर्निंग बोर्ड'' का गठन निम्नानुसार किया गया है ।

(i)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
(iii)	सभापति, कृषि स्थाई समिति, जिला पंचायत	सदस्य
(iv)	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र से नामांकित वैज्ञानिक	सदस्य
(v)	अग्रणी बैंक से अधिकारी	सदस्य
(vi)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
(vii)	कृषि विपणन बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
(viii)	मत्स्य पालन प्रतिनिधि	सदस्य
(ix)	रेशम पालन प्रतिनिधि	सदस्य
(x)	एक कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
(xi)	एक पशुपालन प्रतिनिधि	सदस्य
(xii)	एक उद्यानिकी कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
(xiii)	महिला कृषक समूह के प्रतिनिधि	सदस्य
(ivx)	अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं से एक प्रतिनिधि	सदस्य
(xv)	निकटतम दूरदर्शन केन्द्र से एक प्रतिनिधि	सदस्य
(xvi)	एक अनुसूचित जाति/ जनजाति कृषक प्रतिनिधि	सदस्य

(xvii) उप संचालक कृषि सह परियोजना संचालक आत्मा सदस्य सचिव

vkRek xofuZx ckMZ ds nkf;Ro %&जिला स्तर पर गठित आत्मा कृषि तकनीकी प्रबंध समिति (ATMA Managment Committee) द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना का अनुमोदन देना एवं विभिन्न बैठकों में क्रियान्वयन की समीक्षा करना ।

vkRek xofuZx ckMZ dh cSBd %&

- ●● परियोजना संचालक आत्मा से प्राप्त मासिक व्यय पत्रक एवं प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा करना एवं प्रगति से राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अवगत कराना ।
- ●● आत्मा एवं ब्लाक स्तरीय टेक्नालॉजी टीम को कृषि विस्तार प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिये मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान करना।
- ●● राज्य स्तर से विभिन्न कार्यों हेतु राशि प्राप्त कर उसे जिले में क्रियान्वित की जाने वाली कृषि विस्तार प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों के लिये आत्मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर को प्रदाय करना ।
- ●● जिले में योजनान्तर्गत गठित ''कृषक रूचि समूह'' एवं कृषक समूहों को परियोजना गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने हेतु बढ़ावा देना ।
- ●● जिले में स्थित या कार्यरत प्राइवेट सेक्टर फमर्स, संस्थाओं से आदान व्यवस्था, तकनीकी सहायता, प्रसंस्करण एवं विपणन सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु अधिकाधिक सहयोग एवं योगदान प्राप्त करना ।
- ●● जिले में कृषि ऋण प्रदाय करने वाली संस्थाओं को विशेषकर अ.जा./अ.ज.जा. एवं महिला कृषकों को आवश्यकता के अनुरूप ऋण उपलब्ध करवाने हेतु प्रेरित करना ।
- ●● विकासखण्ड स्तर पर ''कृषक सलाहकार समितियों'' के गठन करने हेतु कृषि एवं सहयोगी विभाग तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र/ कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना ।
- ●● जिले में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं से आवश्यकता के अनुरूप करार करके कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना ।
- ●● आत्मा की सभी इकाईयों का तकनीकी सहायता तथा आर्टीफीसियल इन्सेमिनेशन, मिट्टी परिक्षण, समुचित आदान का उपयोग आदि आंशिक शुल्क लेकर प्रदाय करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

- ●● आत्मा के वित्तीय लेखा का प्रतिवर्ष आडिट करवाया जाना सुनिश्चित करना ।
- ●● आत्मा के लिये बनाये गए नियम एवं उपनियमों को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप सुधार, संशोधन करना।
- ●● जिला कलेक्टर की अनुसंशा पर कृषक एवं अन्य अशासकीय प्रतिनिधियों का नामांकन जिले के प्रभारी मंत्री जी द्वारा सामान्यतः दो वर्ष की अवधि के लिये किया जावेगा तथापि लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने पर इन सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी जिसकी सूचना के साथ ही नये सदस्य का नामांकन तत्काल किया जावेगा ।
- ●● बोर्ड की बैठक में अनुपस्थित रहने पर शासकीय सदस्यों को अध्यक्ष को पूर्व सूचना देना होगी एवं अपरिहार्य कारणोंवश पूर्व सूचना न दे सकने की स्थिति में आगामी बैठक में अनुपस्थिति का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।
- ●● अध्यक्ष गवर्निंग बोर्ड को प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अर्न्तविभागीय वर्किंग ग्रुप की बैठक में जिले की समीक्षात्मक टीप प्रस्तुत करना होगी ।
- ●● कुल कृषक प्रतिनिधियों में से लगभग 30 प्रतिशत संख्या महिलाओं की होगी जिससे उनके हित संरक्षित किये जा सकें।

(C) vkRek eSus teSaV deSVh (AMC) %&

इस कमेटी का गठन रोजाना आयोजित की जाने वाली विस्तार एवं अनुसंधान गतिविधियों की योजना बनाना एवं क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व है । इस कमेटी में निम्नानुसार प्रतिनिधित्व होगा ।

1	परियोजना संचालक आत्मा	अध्यक्ष
2	जिला प्रमुख कृषि विभाग	सदस्य
3	जिला प्रमुख उद्यानिकी विभाग	सदस्य
4	जिला प्रमुख पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग	सदस्य
5	जिला प्रमुख मत्स्य पालन विभाग	सदस्य
6	जिला प्रमुख रेशम विभाग	सदस्य
7	जिला प्रमुख अन्य सहयोगी विभाग	सदस्य
8	कृषि विज्ञान केन्द्र प्रमुख	सदस्य
9	आंचलिक अनुसंधान केन्द्र, प्रमुख	सदस्य

10 कृषक संस्था के एन.जी.ओ. प्रभारी एक प्रतिनिधि — सदस्य

11 कृषक संस्थाओं से दो प्रतिनिधि (One Year Rotation Basis) — सदस्य

lfefr dk ie[k dk;l%&

1 1 समयबद्ध Participatory Rural Appraical (PRA) जिले के विभिन्न Sociq-Economic समूहों एवं कृषकों की कठिनाईयों एवं दवाब को चिन्हित करना ।

2 2 जिले की समन्वित रणनीतिक अनुसंधान एवं विस्तार कार्ययोजना (SREP) तैयार करना जिसमें कि प्रमुख रूप से लघु एवं मध्यम अवधि के अनूकूलता अनुसंधान के साथ ही साथ तकनीकी को प्रमाणित एवं परिशोधित एवं विस्तार वरियता PRA करते समय दर्शित होना चाहिए ।

3 3 जिले की वार्षिक कार्ययोजना को तैयार कर आत्मा गवर्निंग बोर्ड को पुनरीक्षित संभावित संशोधन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना ।

4 4 परियोजना का आवश्यक लेखा संधारण करना जिसको कि लेखा परीक्षण के समय उपलब्ध कराना ।

5 5 वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन सहयोगी विभागों, आंचलिक अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, अशासकीय संस्था, कृषक रूचि समूह, किसान संघ एवं अन्य संस्थाओं के समन्वय से करना ।

6 6 विकासखण्ड स्तर पर तालमेल से यंत्रावली विकसित करना जैसे– प्रक्षेत्र सूचना सलाहकार केन्द्र (FIACs), यह विकासखंड एवं ग्राम स्तर तक विस्तार एवं तकनीकी गतिविधियाँ पहुंचाई जा सकती हैं ।

7 7 वार्षिक उपलब्धि की रिपोर्ट गवर्निंग बोर्ड को उपलब्ध करायेगा जिसमें अनुसंधान विस्तार एवं उससे सम्बद्ध लक्ष्य एवं पूर्ती दर्शित होगी ।

8 8 सचिवालय से गवर्निंग बोर्ड को प्रदाय कराई गई नीति निर्देश, व्यय के निर्णय एवं सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा ।

(D) विकासखण्ड तकनीकी दल (BTT-Block Technology Team) :–विकासखण्ड स्तर की यह अन्तरविभागीय दल जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, इस दल का गठन निम्न विभागों के विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को सम्मिलित कर किया जाता है ।

(i) कृषि विभाग

(ii) उद्यानिकी विभाग

(iii) पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग

(iv) मत्स्य पालन विभाग

(v) भूमि संरक्षण

(vi) रेशम विभाग

(vii) सहकारिता विभाग

(viii) विपणन

उपर्युक्त विभागों से वरिष्ठतम अधिकारी BTT का दल प्रमुख/ संयोजक होगा।

ie[k dk;Z%&

1 1 विकासखंड में SREP का क्रियान्वयन एवं विस्तार व्यवस्था को एकल खिड़की व्यवस्था की ओर ले जाना ।

2 2 जिला कोर टीम की SREP का Upgadation करने में सहायता करना ।

3 3 विकासखण्ड कार्ययोजना में दिये गये विस्तृत विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समन्वय करना ।

4 4 विकासखंड एवं ग्राम स्तर पर FIGs/FOs के गठन में सहायता करना ।

(E) d"kd lykgdkj lfefr (FAC-Farmer Advisory Committee) :– कृषक सलाहकार समिति में 11–15 सदस्य होते हैं जो कि विभिन्न श्रेणी के कृषकों के साथ समुचित महिला कृषकों एवं समाज के कमजोर वर्ग के प्रतिनिधित्व द्वारा गठित होगी। इसके गठन में क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप सुधार किया जा सकता है ।

Øekad	lnL;	jkstxkj
(i)	कृषक	कृषि
(ii)	प्रक्षेत्र महिला	कृषि (अ.जा.)
(iii)	कृषक	उद्यान
(iv)	प्रक्षेत्र महिला	उद्यान
(v)	कृषक	पशु उत्पादन
(vi)	प्रक्षेत्र महिला	पशु उत्पादन (अ.जा.)
(vii)	प्रक्षेत्र महिला	महिला मण्डल
(viii)	कृषक	युवक मण्डल
(ix)	कृषक	आदान विक्रेता

(x) कृषक कृषक समूह

(xi) कृषक सदस्य (विकासखंड कौंसिल)

उक्त समिति के अध्यक्ष का चुनाव उपर्युक्त सदस्यों द्वारा ग्राम आधार पर किया जावेगा तथा बीटीटी के संयोजक सदस्य सचिव के साथ में एफएसी में कार्य करेगा ।

ie[k dk;l %&

11 यह एक संस्था के रूप में कृषकों के विचार उपलब्ध कराने में मैकेनिज्म होगा।

22 यह समिति विकासखंड की विस्तार प्राथमिकताओं एवं कार्यक्षेत्र में संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देगी ।

33 अनुमोदित विकासखण्ड कार्ययोजना को ATMA G.B. के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी ।

44 कार्यक्रम की समीक्षा एवं खण्डस्तरीय क्रियान्वयन इकाई को सलाह देगी ।

55 कृषक सलाहकार समिति (FAC) की बैठक फसल मौसम में प्रत्येक दो माह एवं इसके अतिरिक्त प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जावेगी ।

66 यह समिति विकासखंड एवं ग्राम स्तर पर कृषक रूचि समूहों के गठन में सहायता करेगी ।

(F) d"kd :fp leg (FIG-Farmer Interest Group) :–

कृषि एवं सहयोगी विभागों से संबंधित अतिरिक्त आय के संसाधन निर्मित करने जैसे लघु व्यवसाय, सब्जी, फल एवं फूल उत्पादन, बकरी, मुर्गी, मत्स्य पालन, डेरी आदि के इच्छुक कृषकों के समूह का गठन कराकर संगठित रूप से विपणन व्यवस्था तैयार कर अतिरिक्त आय अर्जित कराना मूल उद्देश्य है एवं इन समूहों को जिन्स आधारित समूह भी कहा जा सकता है ।

(G) jkT; Lrjh; df"k foLrkj ,o i:f'k{k.k lLFkku (SIAET- State Institute of Agriculture Extension & Training) :–

प्रदेश में राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्वशासीय संस्थान के रूप में स्थापना व उसको सुदृढ़ करने हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन एवं उपकरण, संचारतंत्र सुदृढ़ीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना जिससे कि संस्थान के क्रियान्वयन एवं ढांचेगत सुविधा में लचिलापन आ सके ।

ie[k dk;l %&

11 विस्तार प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र में विस्तार कार्यकर्त्ताओं का दक्षता विकास सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्र में ।

22 प्रोजेक्ट प्लानिंग, मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन में परामर्श प्रदाय करना ।

33 प्रबंधन उपकरणों का विकास तथा उन्हें बढ़ावा देकर कृषि विस्तार सेवाओं की दक्षता का विकास कर मानव एवं सामग्री संसाधन की दक्षता का विकास उत्तम प्रबंधन ।

44 मध्यम एवं जमीनी स्तर के कृषि विस्तार कार्यकर्त्ताओं हेतु आवश्यकता आधारित प्रशिक्षणों का आयोजन ।

55 प्रबंधन, सूचना तंत्र, परस्पर चर्चा तकनीक का मोडयूल विकसित करना आदि।

4 j.kuhfrd vuqla/kku ,oa foLrkj ;kstuk (SREP- Strategic Research & Extension Plan) dk fØ;kUo;u %&

आत्मा जिलों द्वारा SREP के अनुमोदन के पश्चात् इसके क्रियान्वयन हेतु अभिलेख में जिले के विकास के लिये विस्तार गतिविधियों एवं अनुसंधान कार्यों के विवरण के साथ ही साथ प्रभावित संपूर्ण क्षेत्रीय संसाधनों के आवंटन को भी दर्शाता है। इस कारण विकासखण्ड जिला एवं राज्य स्तरीय विस्तार कार्ययोजना के लिए SREP को मूल अभिलेख या आधार अभिलेख के रूप में उपयोग किया जावेगा एवं घटकों के क्रियान्वयन प्रक्रिया को पांच मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है । जैसे–कार्ययोजना, वित्त प्रवाह, पद्धति, प्रसार एवं अनुसंधान के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा कृषि गतिविधियों का मूल्यांकन ।

¼1½ dk;Z;kstuk %&

सबसे निचले स्तर पर क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना को एक रणनीति के रूप में प्रारम्भ किया जावेगा । जबकि रणनीतियाँ दीर्घकालिक है व कार्ययोजना का क्रियान्वयन शनैः–शनै एक विधि के रूप में किया जायेगा ।

(A) (A) परियोजना संचालक, अनुमोदित SREP की प्रतियों का वितरण जिले के सभी G.B., A.M.C., B.T.T. तथा F.A.C. के सदस्यों को करावेगा ।

(B) (B) BTT के सदस्य SREP में ऐसे चिन्हित कार्यों की पहचान करेंगे जो विकासखंड के AES (Agro Ecological Situatation) से संबंधित होंगें।

(C) (C) SREP विस्तार एवं अनुसंधान के आवश्यक कार्यकलापों की पहचान एवं निर्धारण के लिये एक मार्गदर्शी शक्ति के रूप में कार्य करती है । इसके आधार पर ही विकासखंड स्तरीय विस्तार कार्ययोजना तैयार करना चाहिए।

(D) (D) विकासखंड स्तरीय विस्तार कार्ययोजना के आधार पर जिला स्तरीय विस्तार कार्ययोजना तैयार कर A.M.C. से परिक्षण

उपरांत इसका अनुमोदन G.B. से प्राप्त कर SNO को राज्य स्तरीय विस्तार कार्ययोजना तैयार रहने हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

¼2½ iःth ogu i.kkyh %&

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य विस्तार कार्ययोजना के अनुमोदन उपरांत राज्य स्तरीय स्वशासी संस्था या राज्य शासन द्वारा अनुमोदित संस्था को केन्द्रांश की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा दी जावेगी ।

(A) (A) भारत सरकार से प्राप्त राशि में से आत्मा जिलों को अनुमोदित गतिविधियों के आधार पर राशि ड्राफ्ट द्वारा प्रदाय की जावेगी । जिला स्तर से प्रत्येक FIAC को गतिविधियों के अनुरूप राशि उनके संयुक्त खातों में जमा की जावेगी ।

(B) (B) FIACs स्तर पर आयोजित मासिक बैठक के समय BTT सदस्यों को उनकी गतिविधियों के आधार पर धनराशि अग्रिम के रूप में दी जावेगी । उक्त राशि से अनुमोदित गतिविधियों का कार्य पूर्ण कर अग्रिम का समायोजन 15 दिवस के अंदर सुनिश्चित करना होगा ।

(C) (C) प्राप्त की गई राशि एवं उसके उपयोग का लेखा रखने हेतु कैशबुक, कार्यवाही पंजी, अग्रिम पंजी, डेडस्टाक पंजी, आदि रिकार्ड का संधारण प्रत्येक FIAC के BTT संयोजक द्वारा रखा जाना आवश्यक है ।

5 foLrkj l/kkj dk;Øe d vrxr ie[k xfrfof/k;k %&

इस कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त सचिव भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 27(1)/2003-NATP(TC)-SEWP/AE दिनांक 20 अप्रैल 2006 द्वारा कार्यक्रम में निहित गतिविधियाँ, उनकी इकाई लागत एवं अधिकतम सीमा हेतु कैफेटेरिया भेजा था इसके उपरांत संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 27–3/2006–ए.ई. दिनांक 18 मई 2006 द्वारा संशोधित कैफेटेरिया संलग्न कर भेजा है । कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार है ।

¼d½ jkT; Lrjh; xfrfof/k;k %&

(1) राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये क्रियान्वयन लागत एवं अत्यावश्यक उपकरण एवं फर्नीचर, ट्रेनिंग हाल का रिनोवेशन।

(2) राज्य स्तरीय मेला, प्रदर्शनी, सेमीनार, वर्कशाप एवं सम्मेलन ।

(3) मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण ।

¼[k½ ftyk Lrjh; xfrfof/k;k %&

(1) अधिकतम उत्पादकता हेतु पुरूस्कार

(2) ग्राम एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण

(3) फसल प्रदर्शन

(4) अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन

(5) अन्तर जिला एवं राज्य स्तरीय कृषक भ्रमण

(6) कृषक रूचि समूह गठन एवं बीज राशि का वितरण

(7) जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं मेला

(8) इन्टरफेस

(9) प्रक्षेत्र दिवस

(10) विशेष विषयों पर अनुसंधान हेतु राशि

(11) प्रचार–प्रसार

(12) सूचना तकनीक का विकास

(13) आत्मा हेतु फर्नीचर, उपकरण, टी.ए./डी.ए., क्रियान्वयन लागत, वाहन किराया ।

उपर्युक्त गतिविधियों की इकाई लागत एवं अधिकतम राशि की सीमा का विवरण परिशिष्ट–''अ'' पर संलग्न है ।

जिला स्तरीय गतिविधियों के आधार पर कैफेटेरिया के अनुरूप प्रदाय राशि का निम्न श्रेणी में दर्शाये गये प्रतिशत के अनुक्रम में रखा जाकर उपयोग किया जाना है । किसी भी परिस्थिति में कृषक आधारित गतिविधियों की राशि कम नहीं की जा सकती है ।

(A)	कृषक आधारित गतिविधियाँ	-	45%
(B)	फार्म इन्कोफैशन डिसीमिनेशन	-	20%
(C)	अनुसंधान विस्तार कृषक लिंकेज	-	15%
(D)	प्रशासनिक खर्च (Recuring)	-	20%
		=	100%

ANNEXURE - I

CAFETERIA OF ACTIVITIES PROPOSED FOR XI PLAN FOR THE SCHEME ' SUPPORT TO STATE EXTENSION PROGRAMMES FOR EXTENSION REFORMS', COST NORMS AND JUSTIFICATION

A. State Level Activities

(Amount in Lakh Rupees)

S. No.	Indicative activities to be taken	Cost norms				Remarks
		Unit	Ceiling of Cost Norms (Max.)	Current ceiling for activity	Proposed ceiling for activity	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
A.1	Monitoring & evaluation Supporting State M & E Unit - Providing computer infrastructure including systems up-gradation and connectivity.	Per M & E unit.	1.20	1.2	**2.00**	
	Six monthly review workshops and R-E Interfaces (pre-seasonal).	Per workshop/ Interface	0.50	2.00	2.00	**No change**
	Third party Monitoring & Evaluation.	Annually		5% of approved State's Annual Work Plan (Max. 10.00)	5% of approved State's Annual Work Plan (Max. 10.00)	**No change**
	Expenses for Inter Departmental Working Group on extension reforms and other contingencies **including Operational support TA / DA, hiring of vehicle / POL, and contingencies for SNO**	Per year	-	1.00	**2.00**	
A.2	Training courses – National/ Inter State / within the state (SAMETI) level – fee for IGNOU **courses –** Both Govt. & Non-Govt. extension functionaries (including NGOs, para extension workers, entrepreneurs, agri-clinics, agri-business centres, input suppliers, corporates etc.)	Per participant Per day	**Rs.650.00 plus admissible TA/ DA**	5.00 per state	**Avg. 0.50 per block**	• **Avg. 5 functionaries per block** • **Maximum period not to exceed 21 days**

A.3	Exposure visit of extension functionaries to progressive states (A group of minimum 5 participants	Per participant per day	**Average Rs.200.00 plus admissible TA/ DA**	5.00 per state	**Avg. 0.50 per block**	**- Avg. 5 functionaries per block** **- Maximum period not to exceed 10 days excluding journey time**
A.4	Organization of state level exhibitions/ kisan melas/ fruit/ vegetable shows etc.	Per year		5.00 per state	5.00	No change
A.5	Krishi Expo and Regional Fairs • Participation in Krishi Expo organized by DAC. • Participation in Regional Fair supported by DAC.	Per State	1.00 0.50	1.00 0.50	1.00 0.50	No change
A.6	Rewards & incentives Award for best performing district ATMA	Annually per district	1.00	1.00	1.00	No change
A.7	Farmer Awards – Best farmers representing different enterprises. • State level • District level	per year per farmer per year per farmer	0.50 0.25		5.00 per state 2.50 per district	10 farmers per state 10 farmers per district.

A.8	Upgrading and restructuring of apex State level training institutions for greater autonomy/ private initiatives to respond to changing requirements as a State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI) <u>Recurring</u> Pay and allowances a) Faculty in the thrust areas of HRD, Management training, participatory methods, Communication, IT & Support staff	-	-		-	
	(b) Operational expenses * (c) Documentation of success stories etc. (preparation and dissemination). (d) Vehicle hiring **<u>Non – Recurring</u>** **(e) Equipment** (f) One time grant for building maintenance/ furnishing of training halls	Per year Per year Per year One time One time	- - - -	9.00 3.00 3.00 6.00 5.00	**Avg. 0.14 per block with a minimum of 9.00 per SAMETI** 3.00 3.00 6.00 5.00	 **No change** **No change** **No change** **No change**
	TOTAL:		Ist year subsequent years			**No change**

B. <u>District Level Activities (For each district)</u>

The distribution of resources for different activities covered under the cafeteria given hereunder shall be as per the following broad categories:

- Farmer oriented activities - 45 %
- Farm Information dissemination - 20 %
- R-E-F Linkages - 15 %
- Administrative expenses (recurring) - 20 %

TOTAL : - 100 %

S. No.	Indicative activities to be taken	Cost norms				Remarks
		Unit	Cost Norms (Max.)	Current ceiling for activity	Proposed ceiling for activity	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)
	I. Farmer oriented activities					
B.1	Developing Strategic Research & Extension Plan (SREP)	Per district	2.50	2.50	2.50 per district	No change
B.2	Training of farmers for maximum period of 21 days. a) **Inter-State** b) **Within State** c) **Within** district level	**Per farmer per day** Per farmer per day Per farmer per day	**0.01** **0.0075** **0.004**	3.00 per district	**Avg. 0.50 per block** **Avg. 0.75 per block** **Avg. 4.00 per block**	**Avg. 50 farmers days per block** **Avg. 100 farmers days per block** **Avg. 1000 farmers days per block** **Cost norms are inclusive of travel cost by bus or second class sleeper.**

B.3	Organizing demonstrations **a) Demonstration (Agri.)** **b) Demonstration (allied sector)** **c) Farmer to farmer Technology Dissemination at demonstration plot**	Per demonstration Per demonstration Per demo	**0.04 per demo* of 0.4 ha** **0.04 per demo for allied sectors** **0.015**	3.00 per district	**Avg. 5.00 per block** **2.00 per block**	**Avg. 125 demonstrations per block** **Avg. 40000 farmer days per block** **Avg. 6 visit of 50 farmers at demonstration plot/ site**
B.4	Exposure visit of farmers – maximum duration of **10** days excluding travel time • Inter State • **Within the State** • Within District	 Per participants per day	 **0.006** **0.003** **0.0025**	 3.00 per district	 **Avg. 0.30 per block** **Avg. 0.075 per block** **Avg. 0.25 per block**	 **Avg. 5 farmer per block** **Avg. 25 farmer per block** **Avg. 100 farmers per block**
B.5	Mobilization of farmer groups of different types including Farmer Interest Groups, Women Groups, Farmer Organizations, Commodity Organizations, and Farmer Cooperatives etc. a) Their capacity building, skill development and support services **b)** Seed money /revolving fund	 Per group/ per year Per group	 0.05 0.10	 5.00 per district (including 2.50 lakh for seed money/revolving fund)	 **No Change**	 **Avg. 20 groups per block** **Only on emerging/ high value/ high yield gap/ problematic crops/ areas preferably on cluster basis.**

B.6	Rewards and incentives – - Best organized group representing different enterprises (5 groups)	Per year per group	0.20	1.00 per district	1.00 per district	No change
B.7	**Farmer Awards – best farmers representing different enterprises.** • **Block level**	**Per year per farmer**	**0.10**		**0.50 per block**	**5 farmers per block.**
	II. Farm Information dissemination					
B.8	District level exhibitions, kisan melas, fruits/ vegetable shows.	Per district		**2.00 per district**	**2.00 per district**	
B.9	Information dissemination through printed leaflets etc and local advertisements.	Per district	-	2.00 per district	**0.40 per block**	Minimum 25% allocations is to be used for publicity of KCC & other Govt. Schemes.
B.10	Development of technology packages on electronic form to be shared through IT network.	Per package	0.20 (Cost of production of one CD)	1.00 per district	1.00 per district	No change
	III. Agricultural Technology Refinement, Validation and Adoption					
B.11	Farmer Scientist Interactions at district level 25 farmers for 2 days.	Per interaction	**0.20**	0.20 per district (one for each crop season)	**0.40**	
B.12	Organization of field days and kisan gosthis to strengthen research – extension – farmer linkages (1 per block in each season).	Per programme Per Block	0.15	2.00 per district	**0.30 per block**	

B.13	Assessment, refinement, validation and adoption of frontline technologies and other short term researchable issues through KVKs and other local research centres.	Per district	As per the assessment of KVK/ Local research center	1.00 per district	**5.00 per district**	
	IV. Administrative / Capital expenses					
B.14	Establishment of ATMA like institutions **Recurring** ♦ Pay & Allowance ♦ TA/DA ♦ Operational expenses for district level * ♦ Hiring of vehicles ♦ Operational Expenses exclusively for block level * **Non – Recurring** ♦ Equipment ♦ Civil Works and Re–furbishing of ATMA office	- Per district -do- Per district **Per Blocks** -do- -do-	- - - - - -	- 1.00 2.00 1.00 2.00 per district 4.00 2.00	**-** **6.50** **1.50** **0.30 per Block** 4.00 2.00	District level operational funds may be given to block but not vice-versa. No change No change
B.15	Establishment of block level Farm Information and Advisory Centres (FIACs) – providing IT applications for effective connectivity.	Per Block	1.30		[Maximum 10% of blocks or 2 whichever is less]	No change

C. Innovative Activities – State Level

C.1	Implementation of Extension Activities through Agri-Entrepreneurs trained under Agri-Clinic scheme.	To be approved by IDWG.	As per norms approved in the Cafeteria.	No. of ATMA block X 0.25	No. of ATMA blocks X 0.25	No change

C.2	PG Diploma in Agricultural Extension Management through MANAGE	0.15 per beneficiary	**Average 0.375 per block**	No. of ATMA blocks X 0.375	No. of ATMA blocks X 0.375	

D. Innov:tive Act ivitie – Di:trict Level;

D.1	Support for district level Training Institutions – It may include both “Operational Expenses” * and Non-Recurring Expenditure.	One Institutions per ATMA district		2.50 per district	**5.00** per district	
D.2	Setting up CRS	One CRS per district	To be decided	To be decided	**54.00 per state**	

म्प व्जीमत प्ददवअंजपअम ।बजपअपजपमे दृ

E.1	**Innovative activities – State component**				**25.00 per state**	**To be approved by IDWG.**
E.2	**Innovative activities – District component**				**Avg. 0.5 per block**	**To be recommended by ATMA & approved by IDWG**

NOTE:

- Mपदपउनउ 10 : वि ठमदमपिबपंतल ब्वदजतपइनजपवद ेिवनसक इम बंसबनसंजमक वद `नउ वि जीम विनत `बजपअपजपमे `हहतमहंजमक `ज `जंजम समअमस दंउमसल दृ थ्तउमतेश ज्तंपदपदह ;ठ.2द्धय क्मउवदेजतंजपवद ;ठ.3द्धय म्गचवेनतम टपेपजे ;ठ.4द्ध `दक ब्वंबपदह ठनपसकपदह वि तिउमते हतवनचे ;ठ.5द्ध सपेजमक पद जीम बंमिजमतपंण
- Mपदपउनउ 30: वि तिमेवनतबमे उमंदज वित चतवहतंउउमे `दक `बजपअपजपमे `तम `ससवबंजमक वित ूवउमद तिउमते `दक मगजमदेपवद निदबजपवदंतपमेण
- Mपदपउनउ 10: वि जीम `ससवबंजपवद वद तमबनततपदह `बजपअपजपमे `ज कपेजतपबज समअमस पे नेमक जीतवनही non-governmen t:l :ec tor अप्रण छळव्े थ्वे च्त्पे बववचमतंजपअमेए चंतं. मगजमदेपवद ूवतामतेए `हतप.चतमदमनतेए पदचनज `नचचसपमतेए बवतचवतंजम `मबजवत मजबण
- **No expenditure** shall be incurred from out of Government of India’s resources on staff salary, infrastructure, civil works, vehicles or subsidy unless specifically provided for in the scheme.
- **C**ost norms and ceiling proposed above may be exceeded by 10% of the limits given above in exceptional circumstances.
- **A**ny deviation over and above the limits given in the previous para and any new activity not mentioned in the above cafeteria could be taken up by the States with prior approval of DAC.
- **No expenditure** shall be incurred from extension work plan allocation on in-eligible items. In the event of any such expenditure, the in-eligible expenses shall be deducted from the State’s next year’s allocation
- **U**nder District Level Activities resources for different activities are prescribed with ceilings viz. Farmer Oriented Activities (45%), Farm Information Dissemination (20%), R-E-F Linkages (15%) and Administrative Expenses (20%). Funds from last three activities could be diverted to the first category of Farmer-Oriented Activities.
- **O**perational Expenses in Serial No. A – (b) 7 under State Level Activities, Serial No. B – 13 of District level Activities and Serial No. C – 2 of Innovative Activities include technical assistance, consultancies, special studies, workshops, library, internet, telephone and other contingencies including accommodation for FIAC meetings.
- Block level Farm School can be operationalized by a combination of demonstration, training and related activities. If the Farm School are run by Non Government sector, they would be eligible for service charges as per approved norms.
- State neither should engage any regular staff nor meet the salary of the regular staff working under ATMAs/SAMETIs from the operational cost provided in the Cafeteria. Any consultant or contractual staff, if engaged, should be strictly through a placement agency and not by the SNO/ SAMETI/ ATMA.
- For demonstration, training and Exposure Visits, the details of items of expenditure and related costs would be as approved under an appropriate scheme of the Central/ State Govt. Otherwise, prior approval would have to be obtained from IDWG.